छत्तीसगढ़ शासन

संस्कृति विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष - 2013-14

छत्तीसगढ़ शासन

संस्कृति विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष - 2013—14

जिला पुरातत्व संग्रहालय कोरबा के ब्रोशर का बिमोचन

संस्कृति विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

मंत्री	-	माननीय श्री अजय चंद्राकर
सचिव	-	श्री रमेश चन्द्र सिन्हा, आई.ए.एस
उप सचिव	-	श्री एम.जी. श्रीवास्तव

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व

आयुक्त	-	श्री रमेश चन्द्र सिन्हा, आई.ए.एस
उप संचालक	-	श्री राहुल कुमार सिंह
उप संचालक	-	श्री एस.एस.सी. केरकेट्टा
उप संचालक	-	श्री एस.बी. सतपाल (संविदा)
उप संचालक (वित्त)	-	श्री सी.आर. साहनी (प्रतिनियुक्ति)
उप संचालक	-	श्री जे.आर. भगत
उपसंचालक (मुक्तांगन)	-	श्री अशोक तिवारी (संविदा)
उपसंचालक (अनुरक्षण)	-	श्री टी.आर. रामटेके (प्रतिनियुक्ति)
पुरातत्वीय अधिकारी	-	डॉ. शिवाकांत बाजपेयी (प्रतिनियुक्ति)
मुख्य रसायनज्ञ	-	डॉ. कामता प्रसाद वर्मा

विभाग से सम्बद्ध गठित इकाइयां

छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग	-	सचिव	पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ	-	अध्यक्ष	डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र
छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान	-	अध्यक्ष	श्री मुरलीधर माखीजा

माननीय राज्यपाल जी का राज्योत्सव 2013 में अभिनंदन

तरीघाट पुरातत्वीय स्थल उत्खनन कार्य 2014 का उद्घाटन

विभाग के उद्देश्य

राज्य में कोई औपचारिक या विशेष नीति के स्थान पर राज्य की परम्पराओं-मान्यताओं का समावेश एवं उनके संवर्धन के लिए सांस्कृतिक उद्देश्यों की परिकल्पना पर बल देते हुए राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों को नया आयाम दिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत राज्य, अभिलेखीय एवं गैर अभिलेखीय परंपराओं के आधार पर संस्कृति को परिभाषित करेगा। राज्य, समुदायों के पारस्परिक संबन्धों को बनाये रखने एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा, इसके अतिरिक्त सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों के छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सांस्कृतिक संबन्धों की नये परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की जायेगी।

छत्तीसगढ़ी राजभाषा एवं राज्य की अन्य बोलियों को प्रोत्साहित किया जावेगा। संस्कृति के ज्ञान का संचयन एवं उसका उपयोग समग्र रूप से एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जायेगा। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं को एक सूत्र में बांधने हेतु एक अंतरसंकायी समिति का निर्माण किया जायेगा, जिसमें विभिन्न कलाओं एवं संकायों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों का समावेश होगा। प्रदेश की आदिम संस्कृति के संरक्षकों और कलाकारों को दूरस्थ अंचलों से चिन्हांकित करने के परिणाममूलक प्रयास किए जाएंगे।

स्मारकों का संरक्षण हमारी संस्कृति नीति का विशिष्ट अंग होगा। राज्य को एक जीवंत संग्रहालय की नई परिकल्पना में रख कर विभिन्न समुदायों की संस्कृति का प्रस्तुतिकरण, नीति का एक प्रमुख भाग होगा। इसके अतिरिक्त समुदायों के जैविक-सांस्कृतिक तत्व तथा उनके मध्य परिवेशीय अंतरसंबन्धो को नया आयाम देते हुये यह प्रयास किया जावेगा। संस्कृति को संपूर्ण जीवन का आवश्यक अंग मानकर उसका संवर्धन एवं परिवर्धन क्षेत्रीय कार्यक्रम, शोध-संगोष्ठी एवं विभिन्न उत्सवों के माध्यम से कराना विभाग का ध्येय है।

क्रियाकलाप

संस्कृति विभाग का कार्य प्रदेश की संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व का संवर्धन करना है तथा उसके उत्तरोत्तर विकास के लिये कार्य करते रहना है। विभाग के क्रियाकलाप मुख्यतः निम्नानुसार है-

- संस्कृति से संबंधित नीतिगत मामले व नीति निर्धारण कार्य।
- साहित्य एवं कला का विकास।
- सांस्कृतिक परम्परा का संरक्षण।
- ललित कला तथा लोक कला को प्रोत्साहन।
- छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति, परम्पराओं एवं जनभाषाओं का संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन एवं देश विदेश में उसका प्रचार-प्रसार।
- अर्थाभावग्रस्त कलाकारों/साहित्यकारों को पेंशन व आर्थिक सहायता।
- अशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता।
- चयनित कलाकारों/साहित्यकारों/विद्वानों को सम्मानित करने का कार्य।
- कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक विषयों के दुर्लभ एवं प्रामाणिक ग्रंथों, दस्तावेजों, स्मृति चिन्हों का संग्रह, प्रकाशन, प्रदर्शन तथा संबंधित व्याख्यान, संगोष्ठियों आदि का आयोजन।
- पुराने अभिलेखों का संरक्षण, संवर्धन।
- ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण तथा संग्रहालयों का विकास।
- ऐतिहासिक स्मारकों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
- सिनेमा अधिनियम के तहत नये सिनेमागृहों को लायसेंस।
- शासकीय कार्यों में हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी राजभाषा का प्रयोग तथा उसके विकास संबंधी कार्य।
- शैक्षणिक संस्थाओं में हिन्दी के साथ-साथ राजभाषा के प्रयोग तथा उसके विकास संबंधी कार्य।

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं संस्कृति विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक एफ. 3-1/30/2001/व.सं.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

संकल्प

विषय :- <u>सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं प्रवर्धन के लिए छत्तीसगढ राज्य की नीति</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य की कोई औपचारिक शासकीय सांस्कृतिक नीति की घोषणा नहीं की जाएगी, न ही उसे थोपा जाएगा बल्कि यह, स्थानीय समुदायों की अबाध सांस्कृतिक परम्पराओं की पहचान, मान्यता देना, पुनर्जीवित करना, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति एवं उनका प्रचार-प्रसार, होगा।
2. राज्य, शास्त्रीय लोक, जनजातीय, दृश्य, प्रदर्शनकारी, महानगरीय एवं ग्राम्य कलारूपों के बीच कृत्रिम सीमाएँ नहीं बनाएगा, बल्कि इनके अंतः संबंधों और संक्रमणों की पहचान एवं सम्मान करेगा।
3. राज्य, अभिलेखीय एवं गैर अभिलेखीय परंपराओं को प्रोत्साहित करेगा। मूर्त वस्तुओं का संकलन एवं दस्तावेजीकरण तथा अमूर्त परंपराओं का पुनसंकलन करेगा, इसका मूल स्थानों पर पुनरूद्धांर एवं निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा।
4. राज्य, नई संस्थाओं, उत्सवों को प्रस्थापित करने के बजाय अस्तित्वमान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले उत्सवों एवं संस्थाओं को केन्द्र मानकर, कार्य करने एवं बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
5. राज्य, समुदायों के बीच पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करने एवं उन्हें विकसित करने में, उनके जीवन, उनकी कलाओं एवं इन कलाओं के रूपों और क्रियाओं के बीच उत्प्रेरक का कार्य करेगा। समुदायों के पर्यावरण केन्द्रित, विकास रणनीति के अनिवार्य तत्व के रूप में, संस्कृति पोषित एवं विभूषित होगी, जिससे संसाधन-प्रबंधन एवं जीवन निर्वाह को गति मिलेगी। संस्कृति, जीवन के सभी हिस्सों का अनिवार्य घटक है इसलिये शासन के समस्त विभागों के आयोजनों में संस्कृति तत्व की पहचान, सन्निवेश और विकास के प्रयास किए जाएगें। संस्कृति को मात्र नाच एवं गाने के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं किया जाएगा, न ही इसे केवल संस्कृति-विभाग का कार्यक्षेत्र माना जाएगा।
6. वृहत विकास परियोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्से के रूप में सांस्कृतिक प्रभाव का मूल्यांकन सन्निहीत किया जायेगा।

7. संस्कृति में सामुदायिक पहचान को बरकरार रखने अंतःसंक्रायी संवाद, संस्थागत समन्वय तथा विकेन्द्रित मैदानी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8. छत्तीसगढ़ के अद्वितीय सांस्कृतिक वैविध्य एवं विशिष्ट पहचान को परिभाषित कर, उसके सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों तथा सांस्कृतिक प्रदेशों के साथ संबंध व विनिमय स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सामुदायिक सांस्कृतिक पहचान तथा भू-परिदृश्य की राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुति की जाएगी।

9. बोलियों के बीच सेतु बनाए जाएंगे। ऐसी बोलियां, जिनकी लिपि नहीं है की लिपि विकसित की जादेगी। विश्व के दूसरे हिस्सों की देशज जनजातियों एवं समरूप समुदायों से देश के अन्य प्रदेशों से एवं नवनिर्मित राज्यों के पहाड़ी एवं वन समुदायों के मध्य संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

10. संस्कृति में ज्ञान का संचयन एवं उसके उपयोग को एकाकी रूप में न देखकर साथ-साथ चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा।

11. स्थानीय समुदायों के सह-निर्देशित पहल से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

12. राज्य में केवल एक बहुआयामी सांस्कृतिक परिषद् होगी, जिसमें ख्यातिप्राप्त सलाहकारों की एक अंतःसंक्रायी समिति होगी साथ ही विभिन्न कलाओं एवं संकायों से चयनित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। यह केन्द्र समुदायों के विशिष्ट सांस्कृतिक क्रिया-कलापों को अंतः संक्रायी तत्वों सहित पहाड़ियों, जंगलों, शहरों, कस्बों एवं गांवों में प्रोत्साहित करेगी।

13. केवल स्मारकों को ही संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, अपितु महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भू-दृश्यों को भी सुरक्षित किया जाएगा। पुरावशेषों एवं संबंद्ध भू-दृश्यों को विश्व धरोहर स्मारक के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा।

14. विभिन्न समुदायों के सामुदायिक तथा जैव-सांस्कृतिक इतिहास संबंधी कार्य, समुदायों के जैविक और भौतिक परिवेशीय अंतसंबंध के संदर्भ में किया जाएगा। अपने मूल स्थान में जीवन को उन्नति देने वाले ज्ञान, दक्षता और तकनीक के तत्वों के विशिष्ट एवं लुप्तप्राय मौखिक एवं अभिलिखित परंपराओं का उद्धार एवं प्रोत्साहन होगा, ऐसी परंपराओं के संधारक विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सन्स) की निर्देशिका बनाई जाएगी। विशेषज्ञों को, अपने समकक्षों को प्रशिक्षित करने, अपने उद्यम को आगे बढ़ाते रहने एवं अपने उत्पादों, सेवाओं के विवणन के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।

15. पर्यटन को जैविक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक अनुरक्षण के अनाक्रामक उपकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, केवल व्यावसायिक मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं।

16. छत्तीसगढ़ को स्वयमेव जीवंत संग्रहालय मानकर, मूल स्थान तथा निर्धारित स्थानों पर आयोजित प्रदर्शनों की संकल्पना, समस्याओं के मूल्यांकन एवं समाधान को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगा, न कि निष्क्रिय प्रादर्शों के रूप में।

17. सांस्कृतिक संसाधन विकास में महिलाओं के भूमिका को विकसित किया जाएगा, बालकों एवं बालिकाओं की यथोचित भागीदारी का प्रावधान होगा, साथ ही शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों से जूझते लोगों के संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश को प्रोत्साहन होगा।

18. सांस्कृतिक गतिविधियों को भूत, वर्तमान एवं भविष्य की पृथकता के बजाय उसके अविभाज्य निरंतरता में देखा जाएगा। समुदायों को उनके सामुदायिक, विशेषकर पर्यावरणीय इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित जनजातीय इतिहास की रचना हेतु प्रेरित किया जाएगा, ताकि उनके हित एवं समृद्धि के लिए परिरकल्पित, राज्य की योजनाओं को आधार मिल सके। परंपरा की प्रासंगिकता और सामयिकता का परीक्षण, आधुनिकता और विकास के संदर्भ में होगा।

19. संस्कृति को उपभोग्य वस्तु अथवा उत्पाद मात्र न मानकर एवं जीवंत निरंतर प्रवाह माना जाएगा सांस्कृतिक शोध-शिक्षण, समीक्षा तथा शोध, उपचार तथा प्रशिक्षण, प्रकाशन तथा समर्थन को प्रोत्साहित किया जाएगा। सांस्कृतिक व्यूह रचना को गरीबी उन्मूलन, सुरक्षित जीवन-यापन, विभिन्न समूहों में समरसता तथा सहअस्तित्व से सम्बद्ध करने वाले सूत्र, नीतियों और कार्यक्रमों के लिए आधारभूमि बनाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राम प्रकाश)
विशेष सचिव
वन एव संस्कृति विभाग

विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना

राज्य की संस्कृति, परंपरा, पुरातत्व, पर्यावरण और जीव-सृष्टि की सन्निधि में विकास की कल्पना को साकार करने हेतु पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और राज्य के पारंपरिक शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान करने का संकल्प जीवन्त हुआ। पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम-उपरवारा में लगभग 200 एकड़ भूमि पर आकार ग्रहण कर रहा है।

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरखौती मुक्तांगन के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया, लोकार्पण समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने निर्माणाधीन इस योजना की सराहना की। राज्य की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के परिसर में माननीय मुख्यमंत्रीजी के हाथों पारंपरिक पौधों का रोपण कर शिल्प ग्राम निर्माण का संकल्प लिया गया। इस योजना के निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग, अभनपुर, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में दायित्व सौंपा गया है।

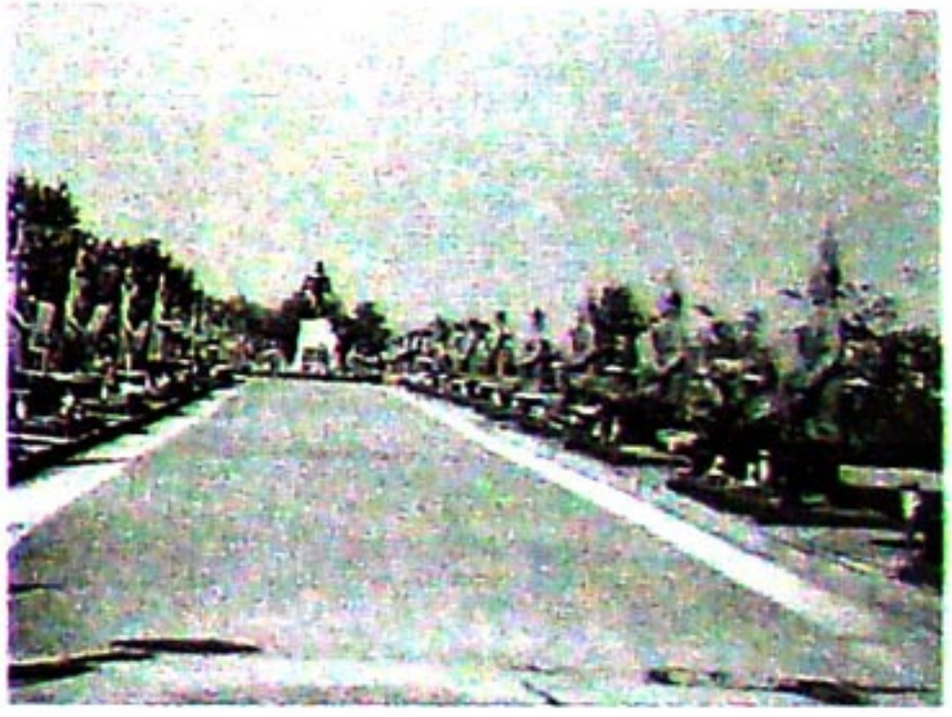

लगभग 200 एकड़ परिक्षेत्र में फैला पुरखौती मुक्तांगन शैक्षणिक केन्द्र होगा। अभी तक 20 एकड़ में इसका विकास कार्य किया गया हैं। जिसके तहत लैण्डसकेपिंग का लोकार्पण, सिविल कार्य, फाउण्टेन एवं जल मंच का निर्माण कार्य कराया गया है। रॉक गार्डन निर्माण के लिए खनिज विभाग को 5 एकड़ भूमि अंकित करा दी गई है। इसी प्रकार मछली घर निर्माण हेतु संचालनालय मत्स्योद्योग, मत्स्य विभाग को 3 एकड़ का क्षेत्र अंकित करा दिया गया है।

प्रथम चरण के विकास कार्य में भव्यप्रवेश द्वार, पर्यटन सूचना केन्द्र, पाथ-वे, माड़ियापथ, बैगा चौक, देवगुड़ी, छत्तीसगढ़ हाट, आभूषण, पार्क, छत्तीसगढ़ी चौक, जनजातीय पारंपरिक शेड, मनोरंजक उद्यानगृह, सड़क एवं जल-निकास, लौह शिल्पियों की कार्यशाला एवं भित्तिचित्र का पारंपरिक जाली निर्माण, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का निर्माण, चारदीवारी निर्माण, छत्तीसगढ़ का मानचित्र का निर्माण जिसमें छत्तीसगढ़ के विभूतियों को दिखाया गया है, भू-दृश्य सौंदर्यीकरण एवं विद्युत साज-सज्जा आदि कार्य संपन्न किये जा चुके हैं। साथ ही इस वर्ष पाथवे मे फाउण्टेन एवं वाटरफॉल को प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में पुरखौती मुक्तांगन में स्थापित पारंपरिक लोक नृत्यों के भ्रमण हेतु पाथवे का निर्माण तथा लाईट एवं साउंड इफेक्ट का कार्य करवाया गया हैं एवं पुरखौती मुक्तांगन में मछली घर का निर्माण मत्स्य विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा राक गार्डन के निर्माण हेतु नोडल एजेंसी खनिज विभाग को बनाया गया है।

माननीय संस्कृति मंत्री जी की घोषणा के अनुसार वर्ष में 4 बार लोक प्रसंग का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। इसके तहत लोक प्रंसग उत्सव 4 बार आयोजित किया जा रहा है। जिसको यहां की जनता ने काफी सराहा है। इस वर्ष प्रमुख पर्यटकों में से छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं माननीय संस्कृति मंत्री के साथ ही साथ पंजाव के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुखवीर सिंह वादल रहें। इसी तरह अन्य गणमान्य नागरिकों का आगमन हुआ एवं उन्होंने पुरखौती मुक्तांगन के स्वरूप की प्रशंसा की है।

पुरखौती मुक्तांगन में लोक-प्रसंग का आयोजन

पुरखौती मुक्तांगन में पंथी नृत्य

वर्ष 2012-13 में पर्यटकों की संख्या 1,50,000 रही। पर्यटकों की प्रवेश शुल्क के रूप में शासन के खाते में राजस्व के रूप में 3.40 लाख जमा किए गए। इसी तरह अन्य गणमान्य नागरिकों का भी आगमन हुआ हैं एवं उन्होंने पुरखौती मुक्तांगन के स्वरूप की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार पुरखौती मुक्तांगन परिसर को जो भारत में पर्यटन के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केन्द्र के रूप में आकार ले रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में इसके लिए बजट राशि रू. 330.00 लाख (रूपए तीन करोड़ तीस लाख) मात्र स्वीकृत थे। जिसमें रू. 306.18 लाख व्यय हुआ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के वजट प्रावधान में राशि रू. 363.00 लाख (रूपए तीन करोड़ तिरसठ लाख) मात्र/प्राप्त हुआ है। माह दिसम्वर तक 65 प्रतिशत व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के वजट में राशि रू. 500.00 लाख (रूपए पांच करोड़ मात्र) प्रस्तावित किया गया है।

पुरातत्व

पुरातत्वीय स्थलों का संरक्षण एवं विकास

विभाग द्वारा राज्य संरक्षित स्मारकों तथा प्रदेश में फैली पुरातात्विक सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वैज्ञानिक ढंग से उन्नत तकनीको द्वारा उन्नयन एवं विकास कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं। पुरातत्वीय पर्यटन की दृष्टि से

उत्खनित स्थल तरीघाट, जिला दुर्ग

पुरास्थलों को विकसित किए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। जिसके अन्तर्गत संरचनात्मक एवं रसायनिक संरक्षण कार्य, पुरातात्विक छायांकन, डाक्यूमेन्टेशन, प्रतिकृतियों का निर्माण तथा पुरातात्विक राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन, सांस्कृतिक धरोहर के प्रति लोगों में जन-जागरूकता लाने के लिए भिन्न-भिन्न अवसरों पर प्रदर्शनियों का आयोजन एवं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण प्रकाशन कार्य सम्पन्न किए गए हैं।

पुरातत्वीय सर्वेक्षण एवं उत्खनन

- वर्ष 2013-14 हेतु विभाग को केन्द्र सरकार द्वारा राजिम, जिला गरियावंद तथा ग्राम तरीघाट, जिला दुर्ग एवं ग्राम डमरू, जिला बलौदाबाजार के उत्खनन की अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई है। उत्खनन कार्य किया जा रहा है।

उत्खनित स्थल राजिम, जिला गरियावंद

- वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पुजारीपाली, जिला रायगढ़ मलवा सफाई तथा पुरातात्विक संरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई है तथा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत हर्राटोला जिला बलरामपुर, बिरखा घटियारी, जिला राजनांदगांव का मलवा सफाई कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2013-14 में विभाग द्वारा जोंक नदी का द्वितीय चरण का पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोरिया जिले एवं अभनपुर का तहसील स्तर से ग्रामवार तथा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अरपा-मनियारी नदियों तथा धमतरी जिले के महापाषाणीय स्मारकों का भी सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

जोंक नदी

अनुरक्षण कार्य

अनुरक्षण शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 13वें वित्त आयोग एवं विभागीय मद से विभिन्न राज्य संरक्षित स्मारकों एवं उत्खनन स्थलों पर रिसेटिंग, अनुरक्षण, सुरक्षा घेरा, स्थल संग्रहालय भवन, उद्यान विकास, शेड निर्माण, चौकीदार क्वार्टर, गार्डरूम निर्माण कार्य संपादित किया जा रहा है। सभी स्थल पर कार्य प्रगति पर है जिसमें शिव मंदिर

शेड निर्माण, चौकीदार क्वार्टर, गार्डरूम निर्माण कार्य, महेशपुर, जिला सरगुजा

हर्राटोला, सामत सरना डीपाडीह, शिव मंदिर डीपाडीह, देउर मंदिर महारानीपुर, देवरानी जेठानी मंदिर ताला, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद तथा शिव मंदिर केशरपाल के अनुरक्षण एवं रिसेटिंग का पुरातत्वीय कार्य उल्लेखनीय है।

13वें वित्त आयोग मद से सम्पादित किये जा रहे कार्य निम्नानुसार है:-

- उत्खनन स्थल सिली पचराही जिला कवीरधाम में सुरक्षा घेरा, गार्ड रूम, उद्यान विकास कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर घटियारी ग्राम बिरखा जिला राजनांदगांव में सुरक्षा घेरा, गार्डरूम का निर्माण कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक देवरानी जेठानी मंदिर ताला ग्राम अमेरीकांपा जिला बिलासपुर छ.ग. में अनुरक्षण, सुरक्षा घेरा, शेड निर्माण, उद्यान विकास तथा चौकीदार, क्वार्टर निर्माण कार्य।
- उत्खनन स्थल मदकूद्वीप जिला मुंगेली में सुरक्षा रेलिंग कार्य एवं चौकीदार क्वार्टर का निर्माण कार्य।

शिव मंदिर वेलसर हर्राटोला जिला वलरामपुरं

- राज्य संरक्षित स्मारक लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद, जिला जांजगीर चांपा में अनुरक्षण, सुरक्षा घेरा, तथा गार्डरूम निर्माण एवं विकास कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर वेलसर हर्राटोला जिला वलरामपुर में मुख्य मंदिर एवं सवमर्सिवल का रिसेटिंग कार्य, सुरक्षा घेरा, ग्रिल लगाने का कार्य, उद्यान विकास एवं गार्डरूम निर्माण कार्य।
- उत्खनन स्थल महेशपुर जिला सरगुजा में सुरक्षा घेरा निर्माण, स्थल संग्रहालय भवन निर्माण कार्य, शेड निर्माण, गार्ड रूम निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक ध्वस्त मंदिर शिव मंदिर शाला भवन के पास डीपाडीह जिला वलरामपुर छ.ग. में अनुरक्षण एवं सुरक्षा घेरा निर्माण कार्य।
- संरक्षित स्मारक सामत सरना डीपाडीह जिला वलरामपुर छ.ग. में स्थल संग्रहालय भवन निर्माण सुरक्षा घेरा निर्माण कार्य, एवं रिसेटिंग का कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक गुढ़ियारी शिव मंदिर केशरपाल जिला कोण्डागांव छ0ग0 में अनुरक्षण, बॉऊण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक देउर मंदिर महारानीपुर जिला सरगुजा में रिसेटिंग, सुरक्षा घेरा निर्माण, उद्यान विकास तथा गार्डरूम निर्माण कार्य।

बहादुर कलारिन की माची ग्राम चिरचारी जिला बालोद

- राज्य संरक्षित स्मारक स्वास्तिक विहार सिरपुर जिला महासमुन्द में अनुरक्षण एवं विकास कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक वहादुर कलारिन की माची ग्राम चिरचारी जिला वालोद में सुरक्षा घेरा निर्माण कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक वजरंग वली मंदिर सहसपुर जिला वेमेतरा में सुरक्षा घेरा निर्माण कार्य एवं विकास कार्य।

विभागीय मद से कार्य

- वहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान कृषि विश्व विद्यालय परिसर रायपुर में समतलीकरण कार्य।
- राज्य संरक्षित स्मारक धुमनाथ मंदिर सरगांव जिला मुंगेली में सुरक्षा घेरा एवं विकास कार्य।

अनुदान

- जिला पुरातत्व संघों को दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला पुरातत्व संघ कांकेर को अनुदान दिया जा चुका है तथा जिला पुरातत्व संग्रहालय कोरवा को भवन निर्माण हेतु एवं मजदूरी तथा अन्य व्यय हेतु जिला पुरातत्व संग्रहालय अम्बिकापुर को भवन निर्माण हेतु तथा शेष वजट राशि में से जिला पुरातत्व संग्रहालय रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा कोरिया, राजनांदगांव, वालोद, सुकमा, सूरजपुर, वलरामपुर, वेमेतरा, मुंगेली, कोंडागांव, गरियावंद तथा वलोदावाजार को अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

संग्रहालय

- अतीत के अवशेषों के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन तथा प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के स्त्रोतों के अनुसंधान के लिए संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य शासन के विभिन्न संग्रहालयों के उन्नयन तथा नवीन संग्रहालयों की स्थापना के लिए विशेष रूप से सचेष्ट है। रायपुर संग्रहालय का सौन्दर्यीकरण तथा प्रदर्शन को आधुनिक स्वरूप देने की कार्यवाही की जा रही है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर के छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्यप्रदेश का भी सबसे प्राचीन संग्रहालय है, इस संग्रहालय का भारत वर्ष के प्रमुख संग्रहालयों में 10वां स्थान है। इस संग्रहालय का लोकार्पण 21 मार्च 1953 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के कर-कमलों से किये जाने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान संग्रहालय भवन की स्थापना हेतु राजनांदगांव की महारानी श्रीमती ज्योति देवी ने एक लाख पच्चास हजार रूपये दान के रूप में दिये थे तथा राजनांदगांव के तत्कालीन शासक महंत घासीदास की स्मृति में इस संग्रहालय का नामकरण 'महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय' किया गया। संग्रहालय में संग्रहालयीन वहुमूल्य पुरावशेषों एवं विविध कलाकृतियों में पुरातत्व दीर्घा, प्रतिमा दीर्घा, शिलालेख दीर्घा, जीव-जंतु दीर्घा, मानव शास्त्रीय दीर्घा प्रमुख है। विलासपुर में विभाग द्वारा संचालित संग्रहालय हेतु विभागीय भूमि-भवन की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार जगदलपुर में संग्रहालय भवन का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण किया जा कर जनसामान्य के लिए खोल दिया गया है। कवीरधाम जिले में उत्खनित स्थल पचराही में संग्रहालय का उद्घाटन कर प्रदर्शन किया गया है तथा सिरपुर में संग्रहालय भवन का शिलान्यास कराया गया है। अन्य जिलों में भी भवन निर्माण, संकलन तथा प्रदर्शन की कार्यवाही की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित

- राजनांदगांव, रायगढ़, अंविकापुर, कोरिया तथा कोरवा में जिला पुरातत्व संग्रहालयों का निर्माण कर उन्हें प्रदर्शन कर जनसामान्य के अवलोकन हेतु खोल दिया गया है। इसके

अतिरिक्त पंचायत स्तर पर ग्राम पासिद, भोरमदेव तथा मठपुरैना में भी स्थानीय संग्रहालयों का निर्माण किया गया है।

रासायनिक संरक्षण

वित्तीय वर्ष 2013-14 में शिवमंदिर चंदखुरी जिला रायपुर एवं छेरकादेऊर, देवटिकरा जिला सरगुजा का रसायनिक संरक्षण कार्य विभागीय वजट के अन्तर्गत किया गया एवं शिव मंदिर गनियारी जिला विलासपुर, शिव मंदिर पलारी, जिला बालोद, चितावरी देवी मंदिर धोवनी, जिला वलोदावाजार, कुकुर देव मंदिर खपरी, जिला बालोद, मंडवा महल चौरा, जिला कबीरधाम, महेशपुर जिला सरगुजा स्थित मंदिरावशेष एवं प्रतिमाओं का रसायनिक संरक्षण कार्य 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

ग्रंथालय

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर के अंतर्गत महंत सर्वेश्वरदास ग्रंथालय है। वर्तमान में यह ग्रंथालय शहीद स्मारक भवन में संचालित है। ग्रंथालय में लगभग 42100 पुस्तक, संदर्भ ग्रंथ 7000, ओ.एस.डी.-1362, सी.आर. -5275, सुन्दरलाल त्रिपाठी पुस्तकालय की पुस्तके-875 एवं पत्र-पत्रिकाएं, मैग्जिन-2196 इत्यादि ग्रंथालय में उपलब्ध है, इस ग्रंथालय में इतिहास, पुरातत्व, नृतत्व शास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, पत्रकारिता, पर्यटन एवं कम्प्यूटर आदि के अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य से संबंधित ग्रंथ तथा गजेटियर उपलब्ध हैं। ग्रंथालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु पृथक से अध्ययन कक्ष की सुविधा उपलब्ध है साथ ही कम्प्यूटरीकृत सुविधा शीघ्र आरंभ कराने की योजना है।

प्रकाशन -

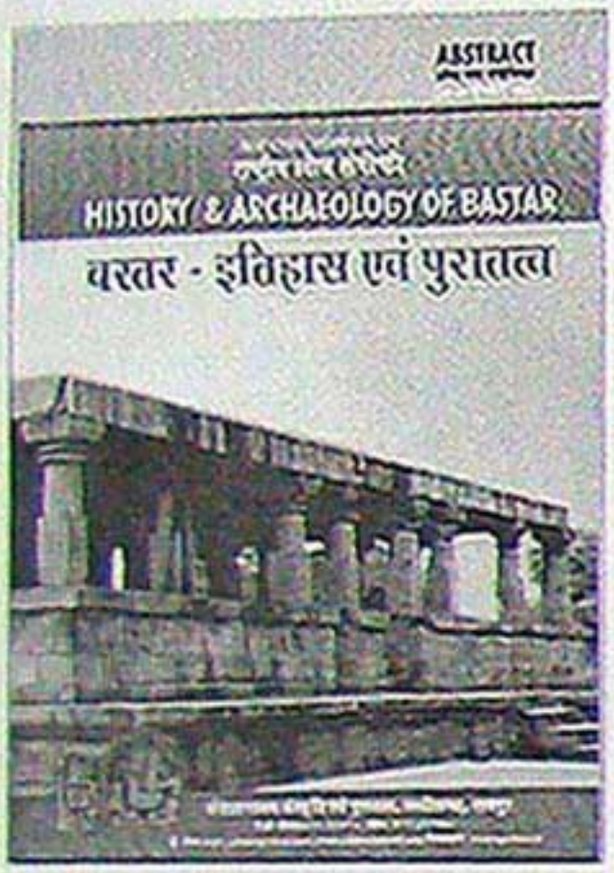

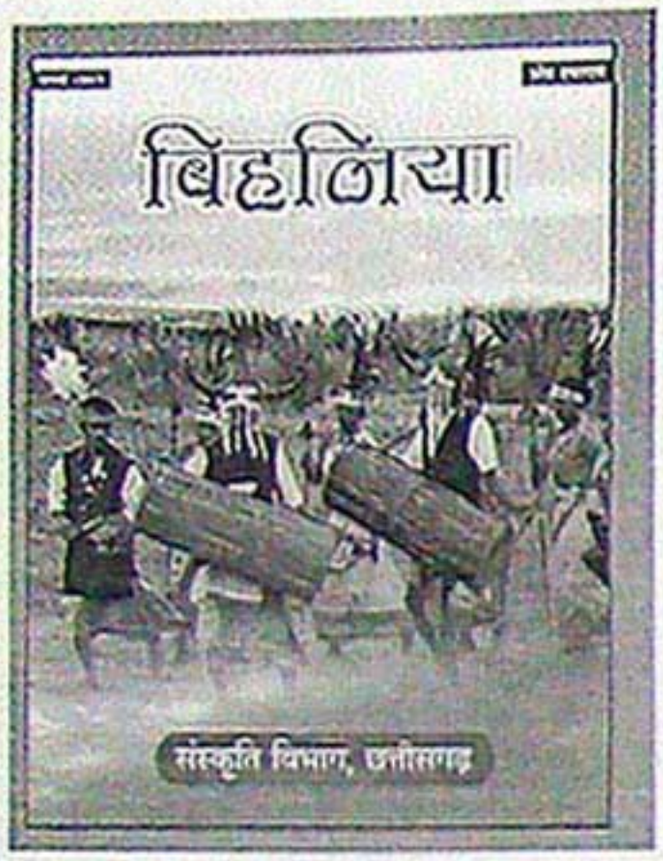

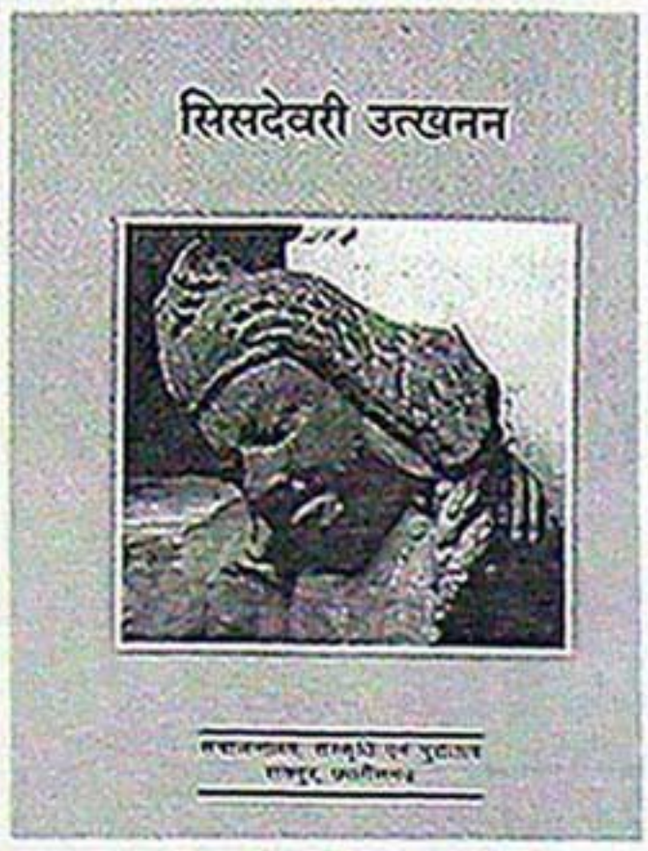

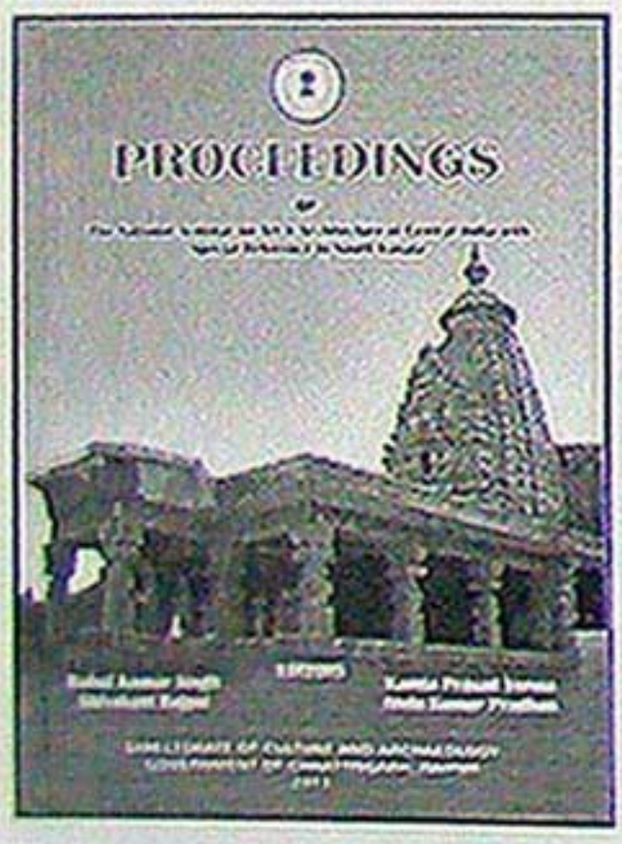

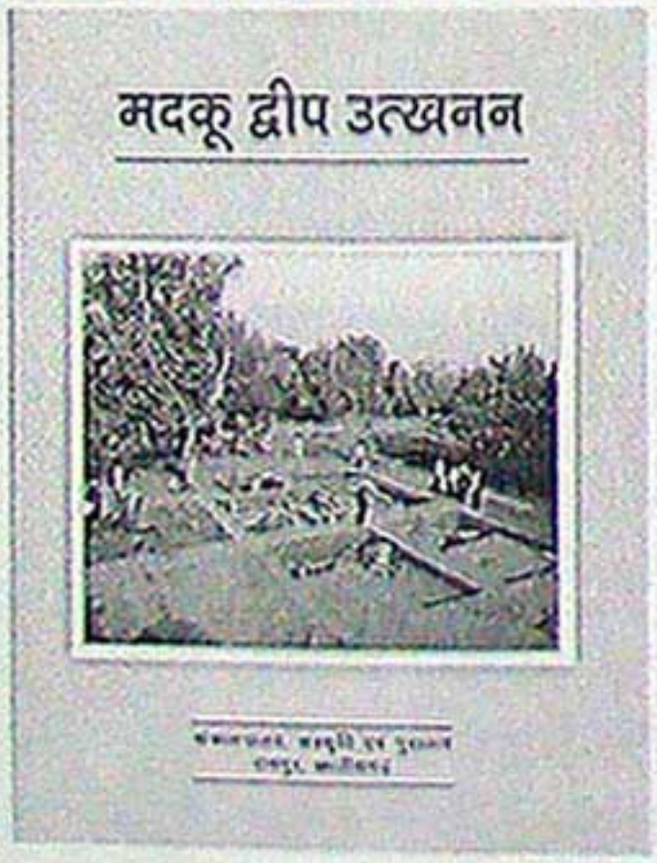

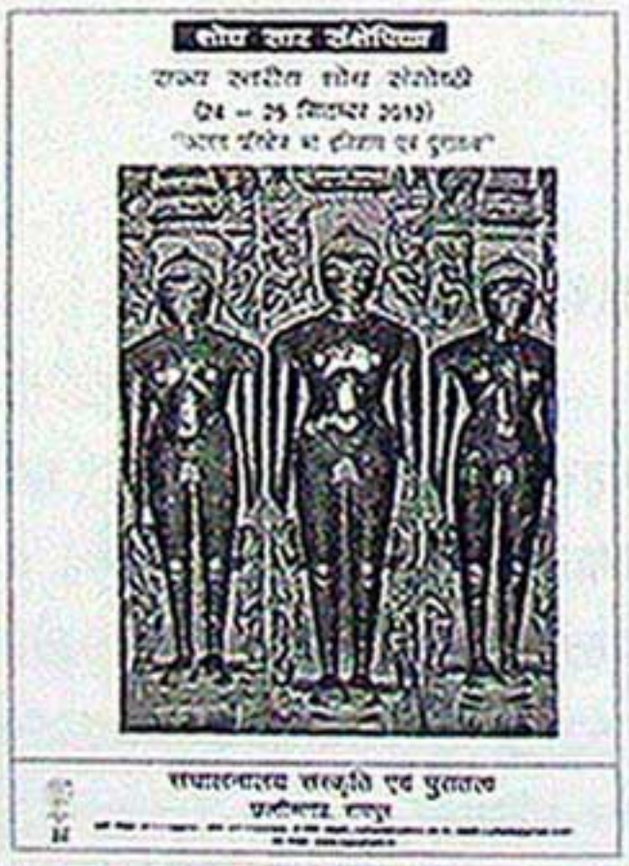

विभागीय प्रकाशन, वर्ष 2013-14

- विभागीय वार्षिक शोध पत्रिका 'कोसल' अंक-6 का प्रकाशन किया गया है।
- 'विहनिया' अंक-11 का प्रकाशन किया गया है।
- "महेशपुर की कला" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।
- द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रोसिडिंग्स का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है।
- गणतंत्र दिवस, राज्योत्सव, आदि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर ब्रोशर का प्रकाशन कराया गया।

- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राज्योत्सव, राज्य दिवस, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं स्वामी विवेकानंद के जीवन और मिशन पर केन्द्रित सांगीतिक प्रस्तुति आदि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर आमंत्रण पत्र का प्रकाशन कराया गया।
- मद्कूद्वीप उत्खनन, सिरदेवरी उत्खनन, सेमीनार 2013 की प्रोसेडिंग, शोध जर्नल कोसल अंक 6 का प्रकाशन किया जा चुका है एवं छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र के मंदिरों से संबंधित पुस्तक तथा ब्रोशर का भी प्रकाशन किया जा रहा है।

ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण पुस्तकें

अभिलेखागार

1. अभिलेखों का स्थानान्तरण

- सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के ग्रंथालय से लगभग 7830 पुस्तकों में से लगभग सभी विषयों की 4069 ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण पुस्तकें रायपुर लायी जाकर अभिलेखागार में संधारित की जा रही हैं।
- सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के अभिलेखागार में संधारित सन् 1919 से 1956 के मध्य के अभिलेखों में छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय महत्व के अभिलेखों को डिजिटल फार्म में लाये जाने के अन्तर्गत अवलोकन, चयन चिन्हाकन कार्य जारी है। अब तक लगभग 1462 नस्तीयों/लगभग 5000 पृष्ठों का चयन किया जा चुका है। लगभग 15000 नस्तीयों/5000 पृष्ठों का चयन होते ही डिजिटाइजेशन व रायपुर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायगी।

2. शोध सामग्री उपलब्ध कराना

- संधारित अभिलेखों से एक शोध छात्र को अध्ययन कराया जा रहा है व शोध सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

3. राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन

- अभिलेखागार के माध्यम से, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, Manuscript Resource Centre-MRC के तहत छत्तीसगढ़ की पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण कर उनका अभिलेखन किया जा रहा है। अब तक लगभग 9500 पाण्डुलिपियाँ दर्ज की जा चुकी है। Manuscript Conservation Centre-MCC के तहत पाण्डुलिपि संग्राहकों द्वारा उन्हें अपनी पाण्डुलिपियाँ सहेजने तथा संरक्षित रखने हेतु संग्रह स्थानों पर ही उन्हे संरक्षण-परिरक्षण में प्रशिक्षित करने का प्रयास है।

अभिलेख तथा पाण्डुलिपि

अभिलेखों तथा पाण्डुलिपियों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण-परिरक्षण करने हेतु विभागीय कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4. अभिलेखागार भवन

- नया रायपुर में वैज्ञानिक तरीका से राष्ट्रीय स्तर का राज्य अभिलेखागार भवन बनाए जाने की तैयारी प्रगति पर है।

5. लोक अभिलेख अधिनियम व नियम छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालयों, संचालनालयों, विभागों-कार्यालयों, निगम-मण्डलों, उपक्रमों इत्यादि के ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण (स्थायी तौर पर संधारण किए जाने वाले) अभिलेखों के प्रबंधन, संरक्षण, व उनके उपयोग हेतु लोक अभिलेख अधिनियम व नियम लागू कराये जाने की तैयारी प्रगति पर है।

राजभाषा प्रभाग

जन कल्याणकारी योजनाएं

- मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजना : ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया हो किन्तु अर्थाभावग्रस्त हैं और ऐसे लेखकों/कलाकारों के आश्रितों को जो अपने परिवार को असहाय छोड़ गये हैं, मासिक वित्तीय सहायता पहुंचाना अथवा ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृद्ध माता-पिता, नाबालिग भाई-बहन वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वित्तीय सहायता योजना (पेंशन) अन्तर्गत 61 आश्रितों को कुल राशि रूपया 14,40,000/- दिया गया है।
- कलाकार कल्याण कोष योजना : राज्य के साहित्यकारों/कलाकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में आर्थिक सहायता देना। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ऐसे व्यक्ति जो शासकीय कर्मचारी या स्वायत्तशासी/अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी न हो। छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष से सहायता योजना अन्तर्गत 75 कलाकारों को आर्थिक सहायता कुल राशि रूपया 12,75,000/- दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 82 साहित्यकारों/कलाकारों को पेंशनग्राहिता लाभ के लिए अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।
- विभिन्न अशासकीय संस्थाओं के संवर्धन विकास हेतु आर्थिक अनुदान योजना : राज्य के कलाकार दलों/कलाकारों को प्रोत्साहित करना तथा प्रदर्शन हेतु समान अवसर एवं मंच प्रदान कराना। कलाकार दलों/कलाकारों के समस्त देयकों के भुगतानों की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाया जाना। राज्य की ऐसी समस्त कला एवं सांस्कृतिक अशासकीय संस्थाएं जो सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत हैं तथा कम से कम तीन वर्षों से कला एवं संस्कृति के विकास, संवर्धन में

सक्रिय हैं। अपंजीकृत कला दल जो कम से कम तीन वर्षों से गांवों/कस्वों/ग्रामीण इलाकों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में अशासकीय संस्थाओं को अनुदान योजना के अंतर्गत 110 कलाकारों/संस्थाओं को सहयोग कुल राशि रूपया 144,15,000/- दिया गया है।

- विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम : इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक आयोजनों/महोत्सवों/मेलों/मंडई हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित अनुदान 15 संस्थाओं के लिए कुल राशि रूपया 100,10,000/- दिया गया है।
- विभाग द्वारा विभिन्न जिलों से मांग अनुसार कुल 98 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

जिला गजेटियर

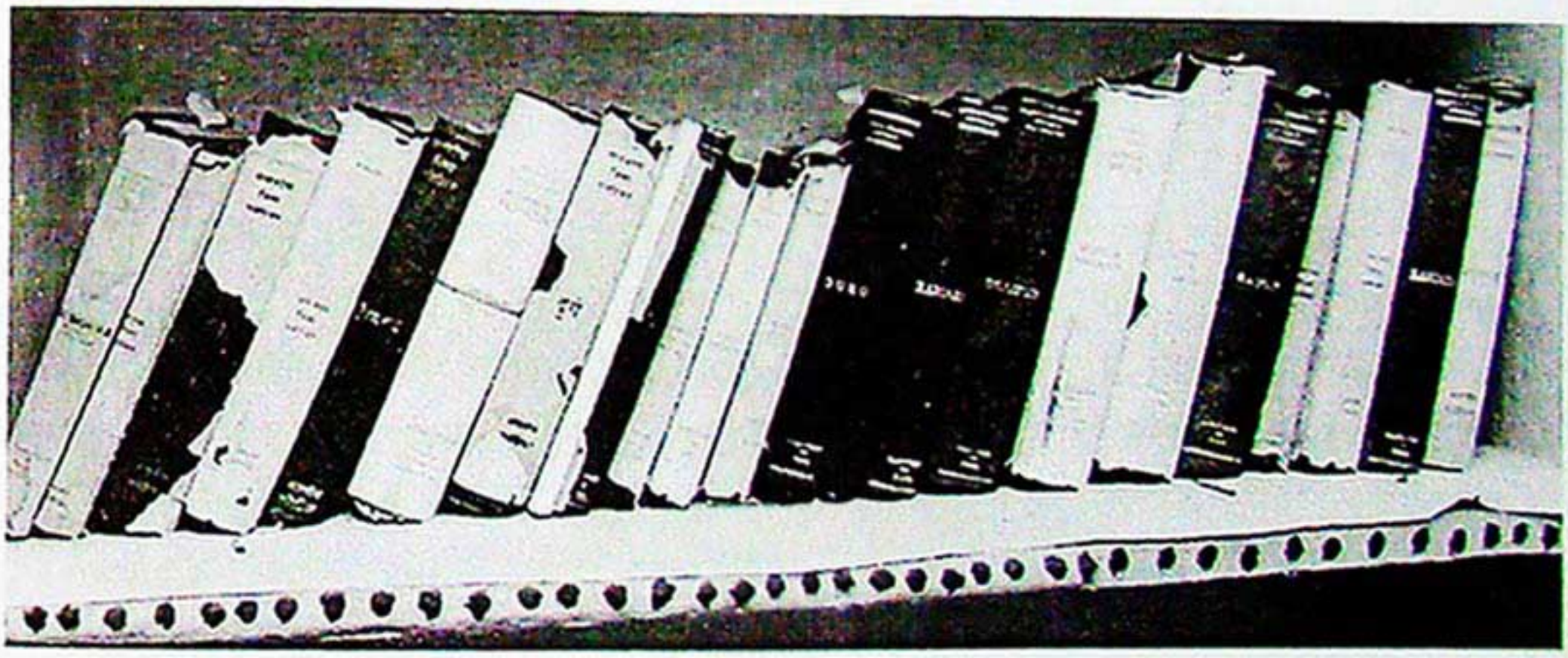

गजेटियर

- छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हो जाने के वाद अब यहां 27 जिले हो गये हैं। इस बीच भारत शासन ने सभी राज्यों से कहा है कि देश में नये राज्यों और नये जिलों का गठन हो जाने के कारण सभी राज्यों के गजेटियर नये सिरे से तैयार कराये जाये। नये गजेटियर किस तरह तैयार कराये जाये, इस बावत् एक टेम्पलेट का प्रारूप भी उपलव्ध कराया है। साथ ही भारत शासन ने यह भी सुझाव दिया कि जो पुराने गजेटियर हैं उन्हें वेव पर अपलोड किया जाये। छत्तीसगढ़ में गजेटियर के लेखन एवं प्रकाशन के संवंध में संस्कृति विभाग को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अंतर्गत भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप नये विचाराधीन टेम्पलेट पर गजेटियर तैयार कराया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों के गजेटियर तैयार कराये जाने के लिए जो टेम्पलेट का प्रारूप भारत शासन को भेजा है उस पर विचार कर संशोधन के प्रस्तावों को भारत शासन को अग्रेषित कर दिया गया है। राज्य के पुराने 06 गजेटियरों को वेब लोड कराने के लिए उनकी स्केनिंग करा ली गयी है। उन्हें वेब पर अपलोड कराने के लिए चिप्स और एन.

आई.सी. के साथ समन्वय कर लिया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ के गजेटियरों को अपलोड करने पर वह देश का 7वां राज्य वन जायेगा जिसके पुराने गजेटियर वेव पर उपलब्ध हो जायेंगे।

- भारत शासन के द्वारा गजेटियर लेखन के लिए टेम्पलेट को अंतिम रूप दिये जाने पर उसका साफ्टवेयर एन. आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह साफ्टवेयर उपलब्ध होने पर गजेटियर लेखन कार्य में गति आएगी। इसी वीच सभी जिलों से जानकारी संकलित करने के लिए टेवलों का प्रारूप भी तैयार करा लिया गया है।

मॉडलिंग

- मॉडलिंग शाखा में गणेश, मंजुश्री, पद्मपाणी, महिषासुरमर्दिनी, नर्तक पुरुष, चंवरधारिणी नायिका, भू-स्पर्श बुद्ध मस्तक एवं अशोक वाटिका में सीता एवं हनुमान, प्रतीक्षारत नायिका, युगल प्रतिमा की प्रतिकृतियों के अलावा दो नग नवीन प्रतिमाओं का मोल्ड तैयार किया गया है।
- पुरावशेषों तथा प्रतिकृति निर्माण के प्रति जागरुकता विकसित करने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में मूक बधिर वच्चों की संस्था 'कोपल वाणी चाइल्ड वेलफेयर आर्गनाइजेशन', सुंदर नगर, रायपुर में 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर 40 प्रशिक्षुओं को प्लास्टर प्रतिकृति निर्माण में प्रशिक्षित किया गया एवं प्रो. जे.एन.पाण्डे शासकीय विद्यालय में 15 दिवसीय प्लास्टर कास्ट प्रतिकृति निर्माण कार्यशाला में 100 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षुओं के द्वारा लगभग 200 प्रतिकृतियां निर्मित की गयी। विभाग में उपलब्ध प्लास्टर कास्ट प्रतिमाओं तथा प्रकाशनों के विक्रय हेतु संग्रहालय परिसर में विक्रय केन्द्र का निर्माण कर, विक्रय हेतु प्लास्टर प्रतिकृतियां व प्रकाशन उपलब्ध है।
- इस वित्तीय वर्ष में संत कवर राम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटोरा तालाव रायपुर एवं शासकीय दुधाधारी वजरंग कन्या महाविद्यालय रायपुर में प्रतिकृति निर्माण कार्यशाला आयोजन किया जावेगा।

आर्ट गैलरी, मुक्ताकाशी मंच एवं आडिटोरियम हॉल

छत्तीसगढ़ के लोककला एवं संस्कृति के विभिन्न विधियों के प्रचार प्रसार तथा संरक्षण, संवर्धन हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आर्ट गैलरी, मुक्ताकाशी मंच एवं आडिटोरियम हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अपना प्रदर्शन हेतु विभागीय नियमानुसार उपलब्ध कराया जाता हैं।

आर्ट गैलरी

उद्यान एवं शिल्प मड़ई मेला परिसर

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय राजकीय संग्रहालय होने के साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संग्रहालय का अपना अलग महत्व है। यहां पर समय-समय पर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के अति-विशिष्ट व्यक्तियों तथा विदेशी पर्यटकों का आगमन होते रहता हैं। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा संग्रहालय परिसर को सुन्दर एवं आकर्षक वनाने के उद्देश्य से उद्यान विकसित किया गया है।

राज्य संरक्षित स्मारक

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण, संवर्धन करने की दिशा में किये गये प्रयास के तहत् वर्तमान में 58 ऐतिहासिक स्मारकों को छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, जिनमें भोरमदेव, राजिम, सिरपुर, वालोद, पलारी, सिहावा, खल्लारी, फिंगेश्वर, चंदखुरी, सहसपुर, नगपुरा, करकाभाट, करहीभदर, ताला, किरारीगोढ़ी, गनियारी, डीपाडीह, वेलसर, महेशपुर, सतमहला, गढ़धनौरा, भोंगापाल, बारसूर इत्यादि प्रमुख पुरातत्वीय स्मारक हैं जिनके संरक्षण संवर्धन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर अनुरक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्य संपन्न कराया जाता है।

आनंद प्रभु कुटी विहार सिरपुर

छत्तीसगढ़ बहुआयामी संस्कृति संस्थान

राज्य के विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, विकास, प्रचार-प्रसार, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन से संबंधित संस्थान के विकास हेतु छत्तीसगढ़ बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान का गठन किया गया

है। संस्थान में ख्यातिप्राप्त साहित्यकारों, कलाकारों की एक अंतः संकायी समिति होगी। साथ ही विविध कलाओं एवं संकायों से चयनित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यह केन्द्र समुदायों के विशिष्ट सांस्कृतिक क्रियाकलापों को सर्वत्र प्रोत्साहित करेगा। इस योजना को साकार करने के उद्देश्य से आडिटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी आदि तैयार किया जाना है। 'बहुआयामी संस्कृति संस्थान' के निर्माण हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय परिसर रायपुर में 10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है। इस सांस्कृतिक परिसर के निर्माण हेतु वास्तुविद से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इससे संबंधित डी.पी.आर. लोक निर्माण विभाग रायपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन हैं। लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा परीक्षण उपरान्त 48.26 करोड़ रूपये का संशोधित डी.पी.आर. प्राप्त हो गया है जो स्वीकृत हो चुका है तथा इसके निर्माण हेतु भूमि पूजन किया जा चुका है।

समतलीकरण कार्य

लोकोत्सव व पारंपरिक मेलों का विकास

राज्य की धरोहर, कला, संस्कृति एवं परंपराओं के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से राजिम कुंभ, बस्तर दशहरा, शिवरीनारायण उत्सव, रायगढ़ में चक्रधर समारोह, सरगुजा में रामगढ़ उत्सव, विलासपुर में विलासा उत्सव, जांजगीर में जाजल्लदेव महोत्सव, सिरपुर में सिरपुर उत्सव, कांकेर में गढ़िया महोत्सव, करिया धुरवा मेला, रतनपुर उत्सव, मल्हार महोत्सव, खल्लारी महोत्सव, लोक मड़ई, डोंगरगढ़, भोरमदेव महोत्सव, ताला उत्सव आदि के आयोजन जिला प्रशासन व अन्य माध्यम से समन्वय कर संचालित किये जाते हैं।

राज्योत्सव का आयोजन

राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर के अवसर पर राज्य के विभिन्न अंचल के स्थापित लोक कलाकारों, कला दलों के साथ-साथ नवोदित और अल्पज्ञात कलाकारों को प्रस्तुति हेतु अवसर उपलब्ध कराया गया। जिसमें राष्ट्रीय कलाकारों के साथ नये कलाकारों की पहचान, प्रोत्साहन एवं रचनात्मक स्वरूप की झलक प्रस्तुत हुई। राज्योत्सव के सात दिवसीय मुख्य समारोह में प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित कलाकारों के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 21 नवम्बर, 2013 को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

राजिम कुंभ

राज्य के त्रिवेणी संगम राजिम जहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से मेले का आयोजन होता था, उसे नियमित स्वरूप प्रदान कर राजिम कुंभ मेला समिति गठित किया गया है। राज्य के संस्कृति के विकास एवं पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राजिम में शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधीश, संत-महात्माओं एवं जन प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर देश के कोने-कोने से साधु-संतों का समागम राजिम में होता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम में इस आयोजन से संस्कृति, धरोहर, लोक परंपरा एवं कला को एक नया आयाम जुड़ा है। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर व आंचलिक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और साहित्यिक संगोष्ठी एवं विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन पूरे पंचकोशी क्षेत्र में किया जाता है।

कला एवं संस्कृति

प्रदेश की संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण व संवर्धन हेतु विभागीय नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर गतिविधियों का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है, जिससे समुदायों के बीच पारंपरिक संबन्धों को बनाये रखने में, उन्हें विकसित करने में, उनके जीवन, उनकी कलाओं को उत्प्रेरित किया जा सके। स्थानीय समुदायों की अबाध सांस्कृतिक परम्पराओं की पहचान, मान्यता देना, पुनर्जीवित करना, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति एवं उनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के अद्वितीय सांस्कृतिक वैविध्य एवं विशिष्ट पहचान को परिभाषित कर, उसके सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों तथा सांस्कृतिक प्रदेशों के साथ संबंध व विनिमय स्थापित किया जा रहा है। राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपरा के संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें जनजातीय रहन-सहन, तौर तरीके, रीति-रिवाज, लोक नृत्य, गायन एवं अन्य परंपराओं को बनाये रखने हेतु भी कार्य किया गया है। इस हेतु विभागीय क्रियाकलाप के साथ-साथ साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में कार्यरत स्वायत्तशासी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। विभाग के

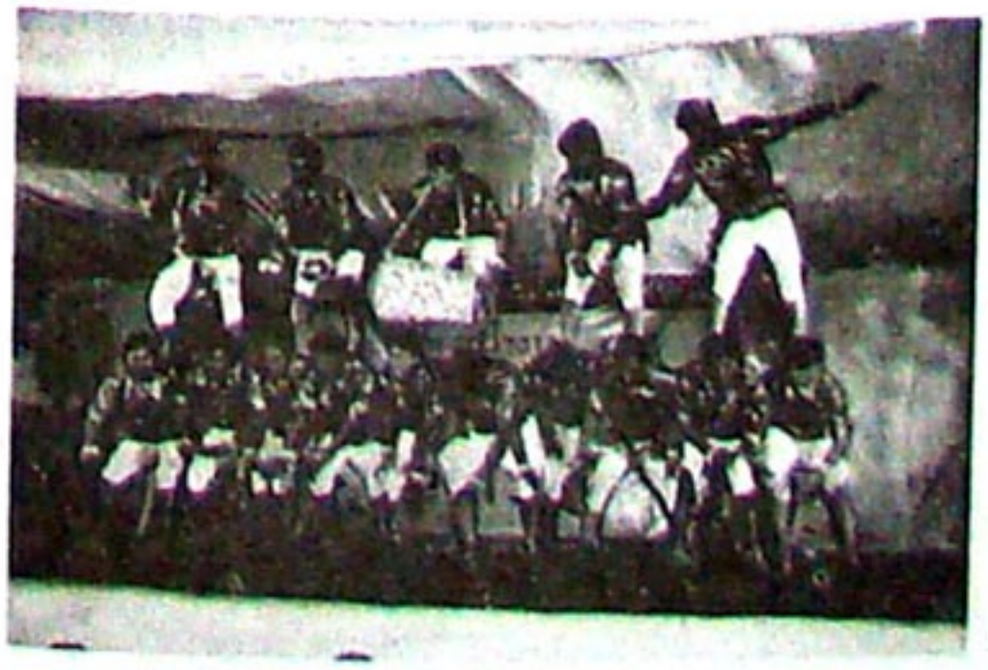

अन्तर्गत 'छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग', 'स्वामी विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान', 'पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ' एवं 'छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान' गठित है, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के विकास एवं संवर्धन की दिशा में हो रहे कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आयोजन एवं उत्सव

राज्य, नयी संस्थाओं/उत्सवों को प्रस्थापित करने के बजाय अस्तित्वमान पृष्ठभूमि वाले उत्सवों/संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है ताकि राज्य की पारंपरिक संस्कृति अविच्छिन्न बनी रहे और समाज-संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अंतःसंकायी संवाद कायम रहे। इस तारतम्य में विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गए/सहयोग प्रदान किया गया -

- छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत सफर मुक्ताकाश, लोकगीत नृत्य, गीष्मकालीन शिविर, हर-दिल-अजीज (मोहम्मद रफी के 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर), कवि-दिवस, पावस प्रसंग, शाम-ए-मुकेश के गीतों के नाम, चक्रधर समारोह, स्पिक-मैके (छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन), छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग-कहिनी अउ कविता शिविर (परसिक्छन), हिन्दी दिवस समारोह, शास्त्रीय संगीत समारोह आदि का आयोजन संपन्न किया गया है, जो भविष्य में भी निरन्तर जारी रहेगा।
- **अखिल भारतीय कवि सम्मेलन** - राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जयन्ती के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन दिनांक 03 अगस्त 2013 से 07 अगस्त 2013 तक राज्य के पांच संभागों (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर) में आयोजित कराया गया है।

- **जगार महोत्सव में बहुरूपियों का मेला** - दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर एवं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ में कला के प्रचार-प्रसार एवं जतन-संवर्द्धन में जनमानस का मनोरंजन तथा प्रबोधन संबंधी कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, रायगढ़ एवं रायपुर में किया गया।

विभाग के अंतर्गत स्थापित राज्य स्तरीय सम्मान

- **पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान** - साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है।
- **चक्रधर सम्मान** - कला/शिल्प कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है।

- **दाऊ मंदराजी सम्मान** - लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है।
- **छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान** - विदेश में रहकर देश व राज्य का प्रोत्साहन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है।
- **माता कौशिल्या सम्मान** - महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये माता कौशिल्या सम्मान स्थापित किया गया है। उक्त सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा इसी वर्ष से राजिम कुंभ के अवसर पर प्रदान किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों के सम्मान समारोह का समन्वय एवं अलंकरण समारोह संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

संगोष्ठी

संस्कृति विभाग के अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचार-प्रसार तथा मूल स्थान व निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शनों की संकल्पना को क्रियान्वित करने हेतु राज्य की परंपराओं तथा सांस्कृतिक व कलात्मक संपदा का निम्नानुसार प्रदर्शन जनजागरूकता के उद्देश्य से किया गया/कराया जा रहा है -

राज्य की धरोहर, कला संस्कृति एवं परंपराओं के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से राज्य स्तरीय पुरातत्व शोध-संगोष्ठी, आरंग परिक्षेत्र का इतिहास एवं पुरातत्व पर दो दिवसीय संगोष्ठी एवं जगदलपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन वस्तर का इतिहास एवं पुरातत्व पर आधारित किया गया तथा एस.ओ.एस.ए.ए. (SOSAA) के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय शोध संगोष्ठी का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदर्शनी

- संस्कृति विभाग के अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराओं एवं एतिहासिक धरोहरों के प्रचार-प्रसार तथा मूल स्थान व निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शनों की संकल्पना को क्रियान्वित करने हेतु राज्य की परंपराओं तथा सांस्कृतिक व कलात्मक संपदा का निम्नानुसार प्रदर्शन जनजागरूकता के उद्देश्य से कराया जा रहा है।
- राजिम कुंभ, राज्योत्सव एवं बस्तर दशहरा में नियमित रूप से प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।
- जनसामान्य में पुरातत्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए 18 मई 2012 को 'विश्व धरोहर सप्ताह' के उपलक्ष्य में मैगनेटो मॉल, रायपुर में पांच दिवसीय पुरातत्वीय प्रदर्शनी लगायी गई।

- राज्योत्सव के अवसर पर महेशपुर, सिरपुर, पचराही, मद्कुद्वीप के उत्खनन से प्रकाश में आये पुरावशेषों/मंदिरावशेषों की छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शनी लगायी गयी थी।
- राजिम कुंभ मेला में सिरपुर, महेशपुर, पचराही, मदकूद्वीप इत्यादि स्थानों से प्राप्त पुरावशेषों की छायाचित्र प्रदर्शनी लगायी गयी।

फोटोग्राफी शाखा

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में नवीन संगीत संग्रहालय भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें संगीत से सम्बंधित कैसेट, वाद्ययंत्र दृश्य श्रव्य यंत्र एवं छायाचित्रों के अलवम, सी.डी. आदि सामग्री का संग्रह किया जावेगा।

लोक शिल्पियों की कार्यशाला सह प्रशिक्षण 'आकार'

प्रतिवर्ष आकार प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत ढोकरा शिल्प, मृदा शिल्प, म्यूरल आर्ट, पेंटिंग, ड्राई फ्लावर, पट चित्र, मधुवनी, क्ले आर्ट, रजवार, जूट शिल्प, बोनसाई, फड़ पेन्टिंग तथा नाट्य प्रशिक्षण के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्प गुरुओं द्वारा वड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन शिविरों में नाटक व शास्त्रीय नृत्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विगत वर्षों से लोक शिल्पियों की कार्यशाला रायपुर के अतिरिक्त विलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में भी आयोजित किया गया, जिसमें वड़ी संख्या में लोगों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

विभाग से सम्बद्ध इकाइयां

छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन - छत्तीसगढ़ी को राज्य की राजभाषा का दर्जा प्रदान कर छत्तीसगढ़ी के प्रचलन, विकास एवं राजकीय कार्यों में उपयोग हेतु समस्त उपाय करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा "छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग" की स्थापना की गई है, जो राज्य की प्रमुख उपलब्धियों में सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ के 15 वरिष्ठ साहित्यकारों को

उनकी छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रति सेवा हेतु "छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग सम्मान 2009" से सम्मानित किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पी.जी. डिप्लोमा इन फंक्शनल छत्तीसगढ़ी का पाठ्य क्रम प्रारंभ कराया गया है। छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया के बीच अंतर संबंध विषय पर अंबिकापुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसी प्रकार 'माई कोठी' योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ी में लिखे साहित्य का संकलन किया जा रहा है। प्रशासकीय शब्दकोश का प्रकाशन, और प्रांतीय सम्मेलन का सफल आयोजन आयोग द्वारा किया गया है।

विवेकानन्द प्रबुद्ध विश्व संस्थान की स्थापना - स्वामी विवेकानन्द जी ने कोलकाता के पश्चात् अपने जीवन का सर्वाधिक समय रायपुर में व्यतीत किया। उनके जीवन काल को स्मरणीय बनाने हेतु शासन द्वारा विवेकानन्द प्रबुद्ध विश्व संस्थान की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत स्वामी जी के विचारों के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत दर्शन, प्रबंधशास्त्र, युवा कल्याण एवं ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर अध्ययन एवं शोध कार्य संचालित किए जायेंगे। इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ, भिलाई - छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की पावन स्मृति में साहित्यिक संस्था सृजनपीठ कार्यरत है। इस संस्थान ने अपनी राष्ट्रीय गतिविधियों से अब पूरे देशभर के साहित्यकारों में अपनी पहचान और सम्मानजनक स्थान बना लिया है।

छत्तीसगढ़ सिन्धी साहित्य संस्थान का गठन - छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ सिन्धी साहित्य संस्थान द्वारा गतिविधियों/कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। संस्थान द्वारा बच्चों को सिन्धी भाषा की शिक्षा देने हेतु रायपुर के विभिन्न सिन्धी बाहुल्य क्षेत्रों में तीन केन्द्र, वहां की पूज्य सिन्धी पंचायतों के सहयोग से संचालित हैं। संस्थान द्वारा सिन्धी भाषा एवं संस्कृति के उत्थान हेतु विभिन्न क्रियाकलाप समय-समय पर शासन के सहयोग से संचालित किए जाते रहे हैं।

दक्षिण-मध्य-क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की सदस्यता

विभाग द्वारा पड़ोसी राज्य से सांस्कृतिक संबंध विकसित करने एवं राज्य के कलाकारों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से दक्षिण-मध्य-क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर की सदस्यता ग्रहण कर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिलेखन, कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, रायपुर के विभागाध्यक्ष तथा मैदानी कार्यालयों की स्वीकृत पद संरचना 2012-13

स. क्र.	पदनाम	वेतन बेंड/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	
1	2	3	4	5	6	
1	संचालक	अखिल भारतीय सेवा	1 पद	1	--	
2	अपर संचालक	15600-39100+6600	2 पद	--	2	
3	उप संचालक	15600-39100+6600	4 पद	2	2	
योग :-			7 पद	03	04	
प्रशासन, बजट योजना एवं लेखा						
4	उप संचालक (लेखा)	15600-39100+6600	1 पद	1	--	
5	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800+4200	1 पद	--	1	
6	अधीक्षक	9300-34800+4300	1 पद	--	1	
7	सहायक अधीक्षक	9300-34800+4200	1 पद	1	--	
8	सहायक ग्रेड 1	5200-20200+2800	1 पद	1	--	
9	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	4 पद	4	--	
10	सहायक ग्रेड- 3	5200-20200+1900	6 पद	5	1	
11	स्टेनोटायपिस्ट-3	5200-20200+2800	3 पद	2	1	
12	[illegible]	5200-20200+1900	5 पद	5	--	
13	डाटा एंट्री ऑपरेटर	5200-20200+2400	1 पद	1	--	
14	प्रकाशन अधिकारी	9300-34800+5400	1 पद	--	1	
15	सांख्यिकी सहायक ग्रेड	5200-20200+2800	2 पद	2	--	
16	फोटोग्राफर/ कार्टोग्राफर	5200-20200+2800	1 पद	1	--	
17	वाहन चालक	5200-20200+1900	3 पद	3	--	
18	भृत्य	4750-7440+1300	6 पद	3	3	
19	चौकीदार	कलेक्टर दर	1 पद	--	1	
20	अंशकालीन फर्राश	कलेक्टर दर	1 पद	--	1	
योग :			39 पद	29 पद	10 पद	
पुरातत्व, संग्रहालय एवं ग्रंथालय						
21	पुरातत्वविद्	15600-39100+6600	1 पद	--	1	
22	पुरालेखवेत्ता	15600-39100+5400	1 पद	--	1	
23	उत्खनक	15600-39100+5400	1 पद	1	--	
24	सहायक उत्खनक	9300-34800	1 पद	--	1	
25	सहायक ग्राम विकास अधिकारी	9300-34800+4200	1 पद	--	1	
26	उप अभियन्ता	9300-34800+4200	1 पद	--	1	
27	सहायक ग्रंथपाल	9300-34800+4300	1 पद	1	--	
28	रसायनज्ञ	5200-20200+2800	2 पद	1	1	
29	डाटा एंट्री ऑपरेटर	5200-20200+2400	1 पद	1	--	
30	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900	2 पद	1	1	
31	भृत्य	4750-7440+1300	4 पद	4	--	
योग :-			16 पद	09 पद	07 पद	

			अभिलेखागार			
32	उप संचालक	15600-39100+6600	1 पद	1	--	
33	पुरालेख अधिकारी	15600-39100+5400	1 पद	--	1	
34	संरक्षण अधिकारी	9300-34800+4400	1 पद	--	1	
35	सहा.पुरा. अधि.	9300-34800+4300	1 पद	1	--	
36	सहायक ग्रंथपाल	9300-34800+4200	1 पद	1	--	
37	सहा. पुरालेखपाल	5200-20200+2800	1 पद	--	1	
38	सहायक वर्ग-2	5200-20200+2400	1 पद	1	--	
39	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200+2400	1 पद	1	--	
40	बाइन्डर	5200-20200+1900	1 पद	1	--	
41	भृत्य	4750-7440+1300	2 पद	1	1	
	योग :-		11 पद	07 पद	04 पद	
			उत्खनन, मॉडलिंग, रसायन			
42	सहायक यंत्री	15600-39100+5400	1 पद	--	1	
43	मुख्य रसायनज्ञ	15600-39100+5400	1 पद	1	--	
44	पुरातत्वीय अधिकारी	15600-39100+5400	1 पद	1	0	(प्रति.)
45	पुरातत्ववेत्ता	15600-39100+5400	2 पद	--	2	
46	उपयंत्री	9300-34800+4200	3 पद	3	--	
47	मानचित्रकार	9300-34800+4200	2 पद	2	--	
48	कलाकार	9300-34800+4200	2 पद	2	--	
49	रसायनज्ञ	9300-34800+4200	2 पद	1	1	
50	सहायक कलाकार	5200-20200+2800	2 पद	1	1	
51	सहायक रसायनज्ञ	5200-20200+2800	2 पद	1	1	
52	उत्खनन सहायक	5200-20200+2800	3 पद	3	--	
53	पर्यवेक्षक	5200-20200+4300	1 पद	1	--	
54	सर्वेयर	5200-20200+2400	3 पद	2	1	
55	सहायक वर्ग-2	5200-20200+2400	3 पद	1	2	
56	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900	3 पद	2	1	
57	मोल्डर/सेल्समेन	5200-20200+1900	2 पद	2	--	
58	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200+2400	1 पद	1	--	
59	भृत्य	4750-7440	5 पद	--	5	
	योग :-		39 पद	24 पद	15 पद	
			राजभाषा, संस्कृति एवं गजेटियर			
60	उप संचालक	15600-39100+6600	1 पद	1	--	
61	सहायक संचालक	15600-39100+5400	1 पद	--	1	
62	सहायक संचालक	9300-34800+4400	1 पद	1	--	
63	अनुदेशक	9300-34800+4300	2 पद	1	1	
64	शोध सहायक	9300-34800+4300	2 पद	2	--	
65	अनुवादक	5200-20200+2800	2 पद	2	--	
66	सहायक वर्ग-2	5200-20200+2400	1 पद	1	--	
67	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900	3 पद	--	3	
68	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200+2400	1 पद	1	--	
69	भृत्य	4750-7440+1300	2 पद	1	1	
	योग :-		16 पद	10 पद	06 पद	

कार्यालय संग्रहाध्यक्ष जिला पुरातत्व संग्रहालय, (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर)						
70	संग्रहाध्यक्ष	15600-39100+5400	7 पद	2	5	
71	वरिष्ट मार्गदर्शक	9300-34800+4300	3 पद	1	2	
72	कनिष्ट मार्गदर्शक	5200-20200+2800	4 पद	3	1	
73	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	7 पद	7	--	
74	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900	7 पद	6	1	
75	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200+2400	3 पद	3	--	
76	भृत्य	4750-7440+1300	10 पद	5	5	
77	चौकीदार,	4750-7440+1300	11 पद	2	9	
78	केयर टेकर (संग्रहालय गैलरी)	4750-7440+1300	4 पद	--	4	
79	केयर टेकर	जिलाध्यक्ष दर	12 पद	12	--	
80	फर्राश/स्वीपर अंशकालीन	जिलाध्यक्ष दर	4 पद	--	4	
योग :-				41 पद	31 पद	
महायोग :-			200 पद	123 पद	77 पद	

स्वीकृत सांख्येतर पदों की जानकारी						
81	केयर टेकर	4750-7440+1300	9 पद	9	--	
83	स्वीपर	4750-7440+1300	1 पद	1	--	
84	केयर टेकर (नैमित्तिक)	4750-7440+1300	6 पद	3	3	
85	उद्यान रेजा	4750-7440+1300	3 पद	2	1	
86	उद्यान मजदूर	4750-7440+1300	2 पद	1	1	
87	भृत्य	4750-7440+1300	1 पद	1	--	
88	चौकीदार	4750-7440+1300	1 पद	1	--	
		योग :-	23 पद	18	05	

छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग						
89	अध्यक्ष	25000 प्र.मा.	01 पद	1	--	
90	सदस्य	18000 प्र.मा.	02 पद	2	--	
91	सचिव	37400-67000+8900	01 पद	1	--	
92	उप सचिव	15600-39100+7600	01 पद	--	1	
93	लेखाधिकारी सह प्रशा. अधिकारी	15600-39100+5400	01 पद	--	1	
94	सहायक संचालक	15600-39100+5400	01 पद	--	1 (प्रति.)	
95	हिन्दी/छत्तीसगढ़ी अनुवादक	9300-34800+4300	01 पद	--	1	
96	अर्धालक	9300-34800+4200	01 पद	--	1	
97	सहायक ग्रेड-1	5200-20200+2800	01 पद	--	1	
98	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400	02 पद	--	2	
99	स्टेनोग्राफर	5200-20200+2800	02 पद	--	2	
100	कम्प्यूटर आपरेटर	8000 संविदा	01 पद	1	--	
101	वाहन चालक	5200-20200+1900	02 पद	2	--	
102	भृत्य	4750-7440+1300	02 पद	2	--	
103	स्वीपर	अंशकालीन	01 पद	--	1	
		योग :-	20 पद	09	11	

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व बजट प्रावधान की जानकारी वित्तीय वर्ष 2013-14

(आकड़े लाख रू. में)

क्रमांक	बजट का मद	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4	5
	मांग संख्या 26 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा			
1	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन	72.25	91.65	163.9
	योग - 2202	**72.25**	**91.65**	**163.9**
	मांग संख्या 26 लेखा शीर्ष 2205 कला और संस्कृति			
1	101-ललित कलाओं की शिक्षा	2.80	100.00	102.80
2	102-कलाओं एवं संस्कृति का संवर्धन	342.00	0.00	342.00
3	103-पुरातत्व	361.82	246.00	607.82
4	104-अभिलेखागार	39.00	0.00	39.00
5	105-सार्वजनिक पुस्तकालय	0.00	33.00	33.00
6	107-संग्रहालय	296.70	0.00	296.70
7	800-अन्य व्यय	1.00	410.00	411.00
	योग - 2205	**1043.32**	**789.00**	**1832.32**
	मांग संख्या 26 लेखा शीर्ष 3454 जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय			
1	110-गजेटियर और सांख्यिकीय विवरण	0.00	20.00	20.00
	योग - 3454	**0.00**	**20.00**	**20.00**
	कुल योग मांग संख्या 26	**1115.57**	**900.65**	**2016.22**
	मांग संख्या 41 लेखा शीर्ष 2205 कला और संस्कृति			
1	107-संग्रहालय	0.00	363.00	363.00
	योग मांग संख्या 41	**0.00**	**363.00**	**363.00**

	मांग संख्या 48 लेखा शीर्ष 2205 कला और संस्कृति तथा 4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय (तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान)			
1	2205-103-पुरातत्व	0.00	455.00	455.00
2	4202-106-संग्रहालय	0.00	670.00	670.00
	योग मांग संख्या-48	**0.00**	**1125.00**	**1125.00**
	वित्तीय वर्ष 2013-14 में द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त राशि की जानकारी मांग संख्या 26 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा			
1	2202 - 102 - आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संर्वधन	3.78	0.00	3.78
	योग मांग संख्या 26	**1119.35**	**900.65**	**2020.00**
	महायोग मांग संख्या 26	**1119.35**	**900.65**	**2020.00**
	योग मांग संख्या 41	**0.00**	**363.00**	**363.00**
	योग मांग संख्या-48	**0.00**	**1125.00**	**1125.00**
	महायोग	**1119.35**	**2388.65**	**3508.00**

राज्योत्सव 2013 की झलकियां

गणतंत्र दिवस 2014

उत्खनन स्थल तरीघाट, जिला दुर्ग

उत्खनन स्थल राजिम, जिला गरियाबंद

उत्खनन स्थल तरीघाट, जिला-दुर्ग